फाइल नं0-71-3002(001)/2/2021-03

141/2024/I/832120/2024

प्रेषक,

चन्द्रशेखर मिश्र,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 24 दिसम्बर, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ललितपुर में मेडिकल कालेज एवं जिला चिकित्सालय दोनों कार्यस्थलों में 33 के०वी० से 11 के०वी० में परिवर्तन हेतु (33/11) सब-स्टेशन (Change of scope/Extra Item) के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2024-25/274, दिनॉक 05.11.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ललितपुर की परियोजना में हो रही बचत रू0 4,09,61,000.00 के सापेक्ष स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ललितपुर में मेडिकल कालेज एवं जिला चिकित्सालय दोनों कार्यस्थलों में 33 के०वी० से 11 के०वी० में परिवर्तन हेतु (33/11) सब-स्टेशन (Change of scope/Extra Item) का निर्माण कराये जाने हेतु तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 268.97 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत कार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ललितपुर की परियोजना में हो रही बचत रू0 4,09,61,000.00 से कराया जायेगा।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात तथा नियमों के अन्तर्गत ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

(4) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ललितपुर की मूल परियोजना में व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गई शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज दिया जायेगा।

(10) प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु विद्युत संयोजन हेतु की गयी उक्त कार्यवाही से व्यय वित्त समिति के दिशा-निर्देशों/शर्तों/प्रतिबंधो एवं वित्तीय नियम प्रभावित न हों।

(11) प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्रशेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या:- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ललितपुर।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ललितपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, ललितपुर।
6- मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर मिश्र)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।